उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-62/2015/2018 /62-2-2015-2/4(15)/2015
लखनऊ: दिनांक: 27 मई,2015

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री नार सिंह, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, लखनऊ, जिनके पास अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, लखनऊ का भी अतिरिक्त प्रभार है, को कार्यालय मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध करते हुए अत्यन्त काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत शासकीय हित में अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, गोरखपुर का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- इस हेतु श्री नार सिंह, अधिशासी अभियंता को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता व अन्य वित्तीय लाभ अनुमन्य नही होगा।

3- यह व्यवस्था पूर्णकालिक/नियमित अधीक्षण अभियंता की तैनाती होने के फलस्वरूप स्वत: समाप्त हो जायेगी।

ह0/

भरत लाल राय,
विशेष सचिव।

सं0-62/2015/2018(1)/62-2-2015,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी।
4- संबंधित अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता/लघु सिंचाई वृत्त/खण्ड ।
5- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता, लधु सिंचाई।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।